न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 01/21 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.हनुमान 2.धर्मा पि.रामकिशन 3.वीरां पत्नि रामकिशन
जातियान विश्नोई, निवासी चौहटन आगोर
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.राणा 2.प्रताप पि.विरधा 3.सुनिल कुमार 4.दिनेश 5.लूणाराम 6.दीपक पि.चेतन 7.प्यारी पत्नि चेतन (विप्रार्थी सं. 5 व 6 ना.बा. जरिये कुदरती वलिया माता विप्रार्थी सं. 07) 8.हरीराम 9.हरकन 10.कालू पि. खुमा 11.मंगलाराम 12.सुखराम 13.मेसी 14.धुड़ी 15.सुगणी पि. रूपाराम 16.अणसीदेवी पत्नि रूपाराम 17.लाखाराम 18.भींयाराम पि.मानाराम 19.देमा 20.वीरमा पि.जसोता 21.किशनाराम पुत्र लालाराम 22.रेखा पुत्री लालाराम , जातियान विश्नोई, निवासी चौहटन, आगोर, तहसील चौहटन 23.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री नरेश धारीवाल

वकील विप्रार्थीगण:– श्री रामजीवन विश्नोइ (विप्रार्थी सं.17) शेष विप्रार्थी एकतरफा

निर्णय

दिनांक 16.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण हनुमाराम पुत्र रामकिशन, जाति विश्नोई, निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जासुदा खेत मौजा चौहटन आगोर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 477 रकबा 13.02 बीघा स्थित है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 881/479 रकबा 09.12 बीघा एवं खसरा सं. 882/479 रकबा 09.13 बीघा भूमि मौजा चौहटन आगोर में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को रजि. ए.डी. से नोटिस जारी किये गए। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

वकील प्रार्थीगण ने आज पत्रावली में आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्रावली में आज सुनवाई की गई। विप्रार्थी सं. 17 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रार्थीगण के वकील ने कहा कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा विप्रार्थीगण की तलबी के नोटिस रजि.ए.डी.से जारी किये पर्याप्त समय हो चुका है। अतः विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण मानते हुए रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए आज ही पत्रावली में सुनवाई की जावे। न्यायहित में प्रार्थीगण वकील का निवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 से 16 एवं 18 से 23 की तलबी पूर्ण मानी जाती है। विप्रार्थी सं. 1 से 16 एवं 18 से 23 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 17 के वकील को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी अनुसार रास्ते के आदेश किया जावे। विप्रार्थी सं. 17 के वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा सं. 881/479 एंव 882/479 में से जो रास्ता चाहा गया है उसमें खसरा सं. 882/479 मे मैं संयुक्त रूप से रेकर्डेड खातेदार हूँ। उक्त खसरा सं. 882/479 में से रास्ते हेतु 10 फीट रास्ता चाहा जिसे देने हेतु मैं सहमत हूँ और 10 फीट रास्ते हुए जो भूमि उक्त रास्ते हेतु चाहिए वो सम्पूर्ण रकबा मेरे हिस्से से कम किया जावे इस हेतु मुझे कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन [illegible] जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और [illegible] सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं [illegible] स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	881/479	09.12	बा.दो.	20 फीट	00.05	चौहटन आगोर	राणा वगैरा सा.देह खातेदार
2.	882/479	09.13	बा.दो.		00.05	चौहटन आगोर	मंगलाराम वगैरा सा.देह खातेदार

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 881/479 एवं 882/479 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में बिन्दु सं. A से B लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई क़ीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दोगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इस राशि का प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा न्निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राश़ि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थी[illegible]तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट [illegible] भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि [illegible]जस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 16.07.2021 को दिया जाता है। खसरा सं. 882/479 मे रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा विप्रार्थी सं. 17 लाखाराम पुत्र मानाराम के खाते एवं हिस्से से कम किया जावेगा। तहसीलदार प्रस्तुत मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम ॥)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं वीरमदान (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त चौहटन, कार्यालय, तहसीलदार चौहटन के आदेश क्रमांक भू.अ./2021/284 दिनांक 5.3.21 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 13.3.21 समय 3.00 बजे आराजी खसरा नम्बर- 881/479, 882/479 वाके ग्राम चौहटन आगोर पटवार मंडल चौहटन पर श्री भंवराराम पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ---- दिनांक ---- द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	हनुमान पि. रामकिशन		45	विश्नोई	प्रार्थी
2.	वीरां w/o रामकिशन		70	-"-	
3.	लाखाराम पि. मानाराम		75	-"-	अप्रार्थी

Ssmm नि. विश्न

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.सं.	रकबा (बीघा में)	रास्ते की चौड़ाई (फीट में)	प्रस्ता. रकबा	डीएलसी दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1.	राणा वगैरह सा. ३ह खातेदार	881/479	9.12	10 फीट	0.05 बीघा	19795/-	4950×2 =9900/-	बा.दो.
2.	मंगलाराम वगैरह सा. ३ह खातेदार	882/[illegible]	9.1[illegible]	10 फीट	0.05 बीघा	19795/-	4950×2 =9900/-	बा.दो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested

• प्रस्तावित रास्ते के रूप में बिन्दु A से B (संलग्न नक्शे में दर्शाए अनुसार) मौके पर खाली भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते हेतु अपने खेत में जाने के लिए डामर सड़क से न्यूनतम दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रार्थी के खेत में जाने के

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

भू.अ.नि. चौहटन

P.T.O.

N

S

आंशिक नक्शा किश्तवार

मौजा- चौहटन आगोर

पैमाना 1" = 80 गट्ठा

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रामजीवन
(रामजीवन S/ सुजानाराम)

तहसीलदार (भू.अ.)
चौहटन

राजकार्य हेतु नि:शुल्क जारी किया

(जसाराम)
पटवारी (भू.अ.) चौहटन
तहसील-चौहटन

(मेराराम S/o पोलाराम)

(हनुमान S/o खियाराम)

(सुजानाराम S/o तुलछाराम)

(सायवाराम)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:26 IST
Reason: SelfAttested